राँची
१३ सितंबर, २०१३

माननीय राज्यपाल,
झारखंड ।

विषय :- झारखंड राज्य बिद्युत बोर्ड (बोर्ड) और हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) के अधिकारियों की मिलीभगत से सिकिदिरी जल विद्युत परियोजना (परियोजना) की दो इकाइयों (६५x२ मेगावाट) के मरम्मत के नाम हुई लूट और भ्रष्टाचार के लिये दोषी व्यक्तियों पर कारवाई के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मई २०१२ और दिसंबर २०१२ के बीच मैंने तत्कालीन सरकार को आधा दर्जन पत्र लिखकर भ्रष्टाचार रोकने का अनुरोध किया था । मुख्य मंत्री कार्यालय से इस बारे में आवश्यक कारवाई करने का निर्देश ऊर्जा विभाग को हुआ । पर कारवाई नहीं हुई । राष्ट्रपति ंशासन में मेरे निवेदन पर ऊर्जा विभाग, झारखंड सरकार के विशेष सचिव ने १३ फरवरी २०१३ को मेरे आरोपों की जाँच करने के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार (सीईए) को लिखा । ६ मार्च २०१३ को सीईए ने उत्तर दिया कि यह जाँच उसके अधिकार क्षेत्र से निकल गई है क्योंकि इस मामले में वह जुलाई २०१२ में सीबीआई को सहयोग कर चुका है ।

इस बीच माननीय राज्यपाल के सलाहकार ने २ मार्च २०१३ को एक पत्र भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय को भेजा । ऊर्जा मंत्रालय ने ६ मार्च २०१३ को इस मामले में तकनीकी एवं वित्तीय अंकेक्षण करने का निर्देश सीईए को दिया । तदनुसार सीईए ने इस हेतु तीन सदस्यीय टीम गठित किया । इस टीम ने २८ मार्च से ३० मार्च २०१३ तक बोर्ड, परियोजना और झारखंड सरकार के अधिकारियों से जानकारी लिया और परियोजना स्थल का निरीक्षण किया । उपलब्ध कराये गये दस्तावेज़ों के आधार पर सीईए टीम ने ९ मई २०१३ को अपने जांच प्रतिवेदन को अंतिम रुप दिया और आवश्यक कारवाई हेतु जाँच प्रतिवेदन झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग को भेज दिया । तबसे विभाग प्रतिवेदन को दबाने बैठा है और इसके निष्कर्षों के अनुरुप कारवाई नहीं कर रहा है । इस बारे में जानकारी मिलने पर मैंने दोषियों पर कारवाई के लिये कई बार सरकार को लिखा । माननीय मुख्य मंत्री को भी वस्तुस्थिति से अवगत कराया । उन्हे लिखे पत्र की प्रति भवदीय के कार्यालय को भी प्रेषित किया । पर मामला जस कंकाल तस है ।

महोदय, सीईए का प्रतिवेदन ५ खंडों में है । प्रतिवेदन की एक छायाप्रति आपको सौंप रहा हूँ । सीईए के जाँच प्रतिवेदन में मेरे द्वारा उपर्युक्त विषय मे समय समय पर लगाये गये सभी आरोप सही साबित हुये हैं । यह साबित हो गया है कि

१. परियोजना की मरम्मत के जिस काम को बोर्ड ने भेल से २००५ में मात्र ५९ लाख रुपया में कराया था, वे ही काम कराने के लिये २०१३ में भेल को २३.४५ करोड़ रु में करने का आदेश बोर्ड ने दिया और इसमें से ४ करोड़ रु बिना किसी बैंक गारंटी के भेल को अग्रिम दे दिया ।

२. २००५ में बोर्ड ने भेल को यह काम निविदा के आधार पर दिया था । २०१३ में यह काम भेल की शर्तों पर नामांकन के अ ाधार दिया है । सीईए ने अपने प्रतिवेदन में टिप्पणी की है कि २००५ में त्रेता यानी बोर्ड की शर्तों पर काम हुआ था, जबकि २०१३ में आपूर्तिकर्ता यानी भेल की शर्तों पर कार्यादेश दिया गया ।

३. २३.४५ करोड़ रु में काम लेकर भेल ने यह काम १५ करोड़ रु में दिल्ली की एक निजी एजेंसी " नार्दर्न पावर इरेक्टर्स लि० " को दे दिया । सवाल है कि शेष ८.४५ करोड़ रु का क्या हुआ ।

४. परियोजना के अभियंताओं ने मरम्मत का यह काम २.६८ करोड़ रु में करने का प्राक्कलन तैयार किया था, पर बोर्ड ने इसे छुपाकर २३.४५ करोड़ रु में भेल को दे दिया और सरकारी ख़ज़ाना को भारी नुक़सान पहुँचाया ।

५. परियोजना के अभियंताओं ने मरम्मत के लिये जरुरी १४ काम का प्राक्कलन तैयार किया था । भेल और बोर्ड ने ज़्यादा ख़र्च का औचित्य दिखाने के लिये १४ काम को विभाजित कर ३५ काम दिखा दिया । उसमें से भी कतिपय ज़रूरी काम को, जिस पर ८० लाख रु से अधिक का व्यय संभावित था, इस सूची से बाहर कर दिया । इस काम में पेनस्टाक, सीजीएलएस, जेनेरेटर टेस्टिंग, भेड़ानाला गेट और मोहनलाल गेट का काम प्रमुख है । यानी काम कम और ख़र्च ज़्यादा । सीईए प्रतिवेदन में इसका उल्लेख है ।

६. अत्यधिक ख़र्च पर काम लेने के बावजूद भेल ने गुणवत्ता से समझौता किया और अच्छा काम नहीं किया । काम के दौरान परियोजना के अधिकारियों ने घटिया काम होने और कार्यस्थल पर जानकार तकनीशियनों के नही होने के बारे में भेल और बोर्ड के अधिकारियों को एक दर्जन से अधिक बार लिखित शिकायत किया पर इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया ।

७. भेल को यह काम ३० जून २०१२ तक पूरा करना था । भेल के लोग काम अधूरा छोड़ १८ अगस्त २०१२ को चले गये । परियोजना अधिकारियों ने कमियों को अपने सतर से ठीक कर उत्पादन शुरु किया । इस अवधि में उत्पादन नही होने से करोड़ो का नुकसान हुआवजिसके लिये बोर्ड और भेल के अधिकारी पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं

८. सीईए की टीम ने कार्यस्थल का मुआयना करते समय पाया कि गेट से भारी मात्रा में पानी का लिकेज जारी है । स्पष्ट है कि भेल ने गेट की मरम्मत नहीं किया । इसी तरह परियोजना का गवर्निंग सिस्टम ने भी तथाकथित मरम्मत के बाद काम करना बन्द कर दिया । इसका ज़िक्र बोर्ड मीटिंग की कार्यवाही में भी है । सीईए टीम ने जिस समय दौरा किया उस समय परियोजना की दोनों इकाइयों का परिचालन बन्द था । अन्यथा अन्य कमियाँ भी उजागर हुई होतीं ।

९ बोर्ड के अधिकारियों ने गुमराह करने के लिये सी ईए जाँच दल को बताया कि मरम्मत के बाद इस वर्ष बोर्ड ने १६० मिलियन युनिट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा था । इसके विरुद्ध १४२ मिलियन युनिट का उत्पादन हुआ । अर्थात ८० प्रतिशत की उपलब्धि हासिल हुई । जबकि सच्चाई है कि मरम्मत के पहले वर्ष २०११ में परियोजना से २७० मिलियन युनिट का उत्पादन हुआ था जिसे बोर्ड अधिकारी छुपा गये । स्पष्ट है कि मरम्मत के बाद उत्पादन क्षमता में कमी आई ।

१०. बोर्ड अधिकारियों का यह झूठ सीईए टीम की जाँच में उजागर हो गया कि २०१३ में किया गया काम पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण का था इसलिये २३.४५ करोड़ रु का आदेश को दिया गया और २००५ में हुआ काम अनुरक्षण एवं मरम्मत का था जिस कारण इसपर केवल ५९ लाख रु ही ख़र्च हुआ था । जाँच से पता चला कि २०१२ में हुआ काम भी वही था जो २००५ में हुआ था ।

११. सीईए जाँच दल के सामने बोर्ड अधिकारियों ने एक और झूठ बोला कि परियोजना के अभियंताओं ने यह काम केवल २.६८ करोड़ रु में करने का प्राक्कलन बोर्ड को नहीं सौंपा था । काग़ज़ातों की छानबीन के दौरान परियोजना के अभियंताओं द्वारा बोर्ड को भेजा गया यह प्राक्कलन जाँच दल को मिल गया । जाँच दल ने बोर्ड के इस झूठ का ज़िक्र अपने प्रतिवेदन में किया है ।

१२. बोर्ड और भेल की मिलीभगत का एक दृष्टांत जाँच में उजागर हुआ है । भेल ने कार्यादेश मिलने के पहले इस काम के लिये १० फरवरी २०१२ को एक निविदा निकाला ताकि व्यय का प्रतिस्पर्धात्मक आकलन हो जाय । निविदा खुलने की तिथि २४ फ़रवरी २०१२ थी । इसकी प्रतीक्षा किये बिना भेल ने १३ फ़रवरी २०१२ को ही २४.३४ करोड़ रु व्यय का एक प्राक्कलन बोर्ड को सौंप दिया । बोर्ड ने १३ फ़रवरी २०१२ को ही बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक बुलाकर निगोशियेसन किया और २१.८० करोड़ रु पर यह काम करने का भेल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । दो दिन बाद इस व्यय को बढ़ाकर २३़४५ करोड़ रु कर दिया गया ।

महोदय इस प्रकार की कई अन्य वित्तीय एवं तकनीकी गड़बड़ियों का उल्लेख सीईए के जाँच प्रतिवेदन में है । सीईए जाँच दल ने विषय वस्तु के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर जाँच नहीं किया है । इतनी अनियमितितायें तो केवल बोर्ड और परियोजना के अधिकारियों से बातचीत, कार्यस्थल के भ्रमण और बोर्ड से मिले दस्तावेज़ों की स्त्री छानबीन से उजागर हुई हैं । भेल के दरवाज़े पर तो जाँच दल ने दस्तक ही नहीं दिया है । जांच दल ने अन्य सरकारी उपक्रमों के साथ भेल की एेसी ही कार्यप्रणाली के बारे मे उल्लेख होने के बावजूद उनसे सूचना संग्रह नहीलकिया है । ऐसा होता तो फरेब और मिलीभगत से सरकारी धन के अपव्यय के कई अन्य दृष्टांत भी सामने आते । सम्भवत: सीईए और भेल दोनो ही भारत सरकार के उपक्रम हैं इसलिये भेल ने सीमा- मर्यादा के कारण ऐसा करने से परहेज़ किया होगा ।

महोदय, भेल और बोर्ड की मिलीभगत से राजकोष का अपव्यय कतिपय अन्य परियोजनाओं में भी हो रहा है । इनमें से पतरातु ताप बिजली घर की इकाई संख्या ९ और १० के जीर्णोद्धार में हो रही वित्तीय अनियमितितायें आँखें खोलनेवाली हैं । इसका विस्तार से ज़िक्र कर मैं विषयांतर नहीं करना चाहता हूँ । केवल संकेत मात्र करना चाहता हूँ कि जितना धन और समय इसमें लग चुका है उतना में एक नया ताप विद्युत घर बन गया होता । विडम्बना तो यह है कि

युनिट १० में जिस सामान की ज़रुरत होती है उसे युनिट ९ में से खोलकर लगा दिया जा रहा।

खेद है कि प्रमाण सहित लगाये गये आरोपों पर भी सरकार कान में तेल डालकर बैठ जाती है । जनप्रतिनिधियों कारवाई करने की ज़िम्मेदारी है वे आरोपियों को संरक्षण देने में लग जाते हैं । इस विषय में भी ऐसा ही हो रहा है। जाँच में दोष साबित होने पर भी कारवाई नहीं होने से प्रतीत होता है कि सरकार भ्रष्टाचार रोकने के प्रति सचेष्ट नहीं है । एक ओर राज्य में बिजली की उपलब्धता कम है, सरकार महँगे दर पर बाहर से बिजली ख़रीद रही है, आये विद्युत दर बढंाने की बात होती है तो दूसरी ओर सरकार और बोर्ड के अधिकारी सरकारी ख़ज़ाना पर चपत लगाने में लगे हैं । इस मामले में आपके स्तर से ठोस कारवाई नहीं हुई तो हमें घोर निराशा होगी और इस विषय में समाधान के लिये सरकारी तंत्र पर से भरोसा उठ जायेगा । मेरी चुनौती है कि सरकार मेरे आरोपों को सही नहीं मानती तो खुलकर खंडन करे । अन्यथा दोषियों के विरुद्ध कारवाई करे । मैनें ये आरोप ठोक-ठेठा कर जनहित में लगाया है । आरोप सही नहीं साबित हुये तो मैं सार्वजनिक जीवन से अलग हो जाने के लिये तैयार हूँ।

बहरहाल मैं उपर्युक्त विषय तक सीमित रहते हुये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब सीबीआई बिजली बोर्ड के अन्य मामलों की जाँच झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश से कर रही है और प्रासंगिक मामले में बोर्ड और भेल से काफ़ी दस्तावेज़ जप्त कर ले गई है तो पूरे मामले को जाँच और कारवाई करने के लिये सीबीआई सौंप देने का आदेश दिया जाय । सीईए के जाँच प्रतिवेदन में भी उल्लेख है कि वह इन मामलों में सीबीआई को तकनीकी सलाह पहले से दे ही है । विश्वास है कि महोदय मेरे निवेदन का स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

सादर,
भवदीय
सरयू राय